



राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी

(आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग)

आयुष भवन, सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर (राज.)

Email- mdnamrsas@gmail.com, pdnamrsas@gmail.com

क्रमांक:- प.3(5)/रा.आ.मि./वित्त-क्रय समिति/2015-16/499-515

जयपुर, दिनांक:-18.03.2016



निर्मित औषधियों के क्रय व आपूर्ति हेतु दर संविदा ई-बोली

विज्ञप्ति वर्ष 2015-16 (निजी निर्माता)

(होम्योपैथिक निर्मित औषधियों के लिए)

(दर संविदा दिनांक 31.05.2017 को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए)

बोली ऑन लाईन प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 25.04.2016



राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी (आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग)

आयुष भवन, सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर (राज.)

Email- mdnamrsas@gmail.com, pdnamrsas@gmail.com

क्रमांक- प.3(5)/रा.आ.मि./वित्त-क्रय समिति/2015-16/ 499-515

जयपुर, दिनांक-18.03.2016

ई-बोली विज्ञप्ति (दर संविदा)

(आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी निर्मित औषधियों के लिए)

राजस्थान राज्यपाल महोदय की ओर से आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सालयों/औषधालयों के उपयोगार्थ, निर्मित औषधियों की दर संविदा आधार पर आपूर्ति व क्रय हेतु वैध विनिर्माण अनुज्ञापिधारक उत्तम विनिर्माण व्यवहार (जी.एम.पी.) अनुपालना वाली निजी औषध निर्माताओं से बोली आमंत्रित की जाती है :-

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित मूल्य (लाखों में)	बोली प्रतिशुद्धि राशि (लाखों में)	बोली फार्म का शुल्क (रु.में)	ई टेण्डरिंग प्रोसेसिंग फीस (रु.में)	प्रस्तावित ऑन लाईन बोली		
						फार्म डाउन लोड प्रारम्भ करने की दिनांक व समय	फार्म अपलोड करने की अंतिम दिनांक एवं समय	तकनीकी आनलाईन बोली खोलने की दिनांक एवं समय
1	आयुर्वेद चिकित्सालयों/औषधालयों के लिए निर्मित औषधी	891.70	17.84	1000	1000	22.03.2016 अपराह्न 3:00 बजे से	25.04.2016 सायं 5:00 बजे तक	27.04.2016 अपराह्न 1:00 बजे
2	होम्योपैथी चिकित्सालयों/औषधालयों के लिए निर्मित औषधी	62.80	1.26	1000	1000	22.03.2016 अपराह्न 3:00 बजे से	25.04.2016 सायं 5:00 बजे तक	27.04.2016 अपराह्न 1:00 बजे
3	यूनानी चिकित्सालयों/औषधालयों के लिए निर्मित औषधी	51.10	1.03	1000	1000	22.03.2016 अपराह्न 3:00 बजे से	25.04.2016 सायं 5:00 बजे तक	27.04.2016 अपराह्न 1:00 बजे

नोट :-

- (1) बोली से सम्बन्धित सम्स्त विवरण वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर ऑन लाईन देखा जा सकता है एवं बोली केवल ऑन लाईन ही स्वीकार की जावेगी।
- (2) इच्छुक बोलीदाता को ऑन लाईन आवेदन करने से पूर्व अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।
- (3) बोली विज्ञप्ति, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की वेबसाईट www.dipr.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in एवं ayurved.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।
- (4) राजस्थान की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम ईकाइयों को मूल्य/क्रय अधिमान वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19. 11.2015 के अनुसार दिया जावेगा।
- (5) प्री-बोली बैठक दिनांक 04.04.2016 को प्रातः 11:00 बजे राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, आयुष भवन, सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर में होगी।

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय आयुष मिशन
राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी
जयपुर



राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी (आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग)

आयुष भवन, सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर (राज.)

Email- mdnamrsas@gmail.com, pdnamrsas@gmail.com

निर्मित होम्योपैथिक औषधियों के क्रय व आपूर्ति हेतु दर संविदा ई-बोली

(दर संविदा दिनांक 31.05.2017 को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए)

बोली संदर्भ :- प.3 (5) रा.आ.मि/वित्त-क्रय समिति/2015-16/ 499-515 दिनांक 18.03.2016

प्री बोली बैठक दिनांक :- 04.04.2016 समय प्रातः 11:00 बजे स्थान – आयुष भवन, सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर।

<u>बोली प्रपत्र डाउनलोड करने की दिनांक व समय</u>	:	दिनांक- 22.03.2016
	:	समय – सांय 3.00 बजे से
<u>ऑन लाईन बोली भरने की अंतिम दिनांक व समय</u>	:	दिनांक –25.04.2016
	:	समय – सांय 5.00 बजे तक
<u>तकनीकी ऑन लाईन बोली खोलने की दिनांक व समय</u>	:	दिनांक-27.04.2016
	:	समय – मध्यान्ह 1.00 बजे
<u>बोली प्रपत्र शुल्क</u>	:	1000/- रूपये
<u>RISL प्रोसेसिंग शुल्क</u>	:	1000/- रूपये
<u>बोली प्रतिभूति राशि</u>	:	1.26 लाख रूपये

राजस्थान सरकार



राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी (आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग)

आयुष भवन, सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर (राज.)

Email- mdnamrsas@gmail.com, pdnamrsas@gmail.com

तकनीकी बोली प्रपत्र (होम्योपैथिक_निर्मित औषधियों के लिए)

- बोली प्रपत्र डाउनलोड प्रारम्भ दिनांक –22.03.2016
- बोली प्रपत्र अपलोड अन्तिम दिनांक –25.04.2016
- बोली प्रपत्र खोलने की दिनांक –27.04.2016

होम्योपैथिक निर्मित औषधियों के लिए दर संविदा

क्र. सं.	विवरण	बोलीदाता द्वारा भरी जाने वाली सूचना
1	बोलीदाता फर्म का पूरा नाम पता फोन नं. ई-मेल.आई.डी
	अधिकृत व्यक्ति का नाम, पद मोबाईल नं
2	बोली सम्बोधित है	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, आयुष भवन सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान।
3	सन्दर्भ	होम्योपैथिक निर्मित औषधियों के लिए जारी ई बोली सूचना क्रमांक:- प. 3 (5)रा.आ. मि/वित्त-कय समिति/2015-16/ 499-515 जयपुर, दिनांक 18.03.2016
4	बोली शुल्क राशि डी.डी./बैंकर्स चैक नम्बर दिनांक स्केन कर अपलोड कर दिया गया है।
5	प्रोसेसिंग फीस राशि डी.डी./बैंकर्स चैक नम्बर दिनांक स्केन कर अपलोड कर दिया गया है।
6	बोली प्रतिभूति राशि डी.डी./बैंकर्स चैक नम्बर दिनांक स्केन कर अपलोड कर दिया गया है।

1. मै/हममिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली संख्या क्रमांक:- प.3(5)रा.आ.मि/वित्त-क्रय समिति/2015-16/ 499-515 जयपुर, दिनांक 18.03.2016 में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त बोली सूचना के अतिरिक्त बोली प्रपत्र में अंकित सभी नियम व शर्तों को स्वीकार करने से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं और स्केन कर अपलोड कर दी गयी है।)
2. आपूर्ति किये जाने वाली निर्मित औषधि का विवरण बोली प्रपत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक- एक (1) में है, उनकी मात्रा को भलीभांति देख लिया है, कुल सामग्री आपूर्ति को ध्यान में लेने के बाद वित्तीय दरें ऑनलाईन अंकित की गई है। दर्शाई गई निर्मित औषधियों की मात्रा में कमी, वृद्धि संभव है। न्यूनतम क्रय की मात्रा की गारंटी नहीं है। दर्शाई गई मात्रा के विरुद्ध आवश्यकतानुसार आपूर्ति आदेश दिए जायेंगे।
3. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से निर्धारित अवधि 60 दिवस की अवधि के भीतर बोली नियम, शर्तों एवं आदेशों के अनुसार के औषधियों की सुपुर्दगी कर दी जावेगी।
4. उद्धृत की गयी दरें वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से 31.05.2017 तक के लिए विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर RTPP नियम 29-2 (1) के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा।
5. बोली शर्तों पर हस्ताक्षर किये जाकर, अन्य आवश्यक सभी दस्तावेजों की मूल/प्रमाणित प्रति स्केन कर अपलोड कर दिए गए हैं।
6. फर्म के भागीदारों एवं चल/अचल सम्पत्ति आदि का पूर्ण विवरण:- (स्थान कम होने पर अलग से सूचना संलग्न की जा सकती है)

(क). फर्म के मालिक/निदेशक/सचिव/प्रबन्धक आदि का विवरण इस प्रकार है :-

क्र.सं	नाम	पद	पता	फोन नम्बर
1				
2				

(ख). फर्म के निम्न भागीदार हैं :-

क्र. सं.	नाम	विवरण	पता	फोन न.
1				
2				

(ग). फर्म की चल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:-

क्र. सं.	खाता जिसके नाम से संचालित है, का विवरण	बैंक का नाम मय शाखा का नाम	बैंक खाता संख्या	खाते में जमा राशि
1				
2				

अन्य चल सम्पत्ति:-

(घ). फर्म की अचल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है :-

क्र. सं.	सम्पत्ति का पूर्ण विवरण	सम्पत्ति कहाँ स्थित है	सम्पत्ति का अनुमानित बाजार मूल्य
1			
2			

(ड) क्या फर्म कभी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार/अन्य संस्थान द्वारा काली सूची (BlackList) में डाली गई है ?
हाँ/नहीं

यदि हाँ तो पूर्ण विवरण अंकित करे :-.....

7. तकनीकी बोली में निम्न विवरणानुसार प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/सहमति पत्र/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक की प्रति जो कि अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्व-प्रमाणित कर स्केन कर अपलोड करनी होगी:-

क्रं. स.	विवरण	पृष्ठ संख्या (...से...तक)
1.	रियायती बोली प्रपत्र शुल्क राशि, बोली प्रतिभूति, कार्य सम्पादन प्रतिभूति बाबत राजस्थान के रजिस्टर्ड सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग होने संबंधी शपथ पत्र व प्रमाण पत्र	
2	कम्पनी/फर्म/संस्था/सोसायटी के मेमोरेन्डम/संविधान व रजिस्ट्रेशन की प्रति।	
3	स्वयं के नाम से औषधि विनिर्माण लाईसेन्स मय अद्यावधि नवीनीकरण प्रमाण पत्र एवं निर्माण की जाने वाली औषधियों की अनुमोदित सूची की प्रति। (लोन लाईसेन्स स्वीकार्य नहीं होगा)	
4	अद्यतन जारी जी0एम0पी0 प्रमाण-पत्र की प्रति।	
5	निर्माता के पास रसायनशाला में औषध परीक्षण प्रयोगशाला होने संबंधी घोषणा पत्र/दस्तावेज की प्रति। (यदि हो तो)	
6	उद्योग विभाग द्वारा जारी लाईसेन्स की प्रति।	
7	बोलीदाता द्वारा स्वयं औषधि निर्माता होने का घोषणा पत्र।(संलग्नक -ख)	
8	विगत तीन वर्षों (2012-13, 2013-14, 2014-15) में होम्योपैथिक आषधियों का औसतन टर्न ओवर रूपये 1.00 करोड न्यूनतम हो, अर्थात गत तीन वर्षों का होम्योपैथिक आषधियों का सकल टर्न ओवर रूपये 3.00 करोड हो।(संलग्नक -ग)	
9	किसी भी राज्य/केन्द्र में काली सूची में (Blacklisted) न किये जाने के संबंध में शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित। (संलग्नक -घ)	
10	औषधि नियंत्रक से जारी नॉन कन्विक्शन (NON- CONVICTION) प्रमाण पत्र जो छः माह से पुराना न हो।	
11	बोली प्रतिभूति, बोली फार्म शुल्क व प्रोसेसिंग फीस के डी.डी./बैंकर्स चैक की प्रति। मूल डी.डी व बैंकर्स चैक दिनांक 25.04.2016 समय सायं 05:00 बजे तक कार्यालय में भौतिक रूप से प्राप्त होना आवश्यक है।	
12	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (RTTP) अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के हस्ताक्षरित A,B,C,D एनेक्सर। (संलग्नक -ड.)	
13	ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स नियम 1945 के प्रावधानों में वर्णित शैड्यूल टी.ए.के अनुसार औषधि निर्माण हेतु उपयोग में लिये गये कच्चे औषध द्रव्यों के गत तीन वर्ष की सूची सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति।	
14	निर्माता द्वारा विगत तीन वर्षों (2012-13 से 2014-15) से निरन्तर निर्मित होम्योपैथिक आषधियों की बैचवार सूची सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति।	
15	निर्माता के आई.एस.ओ अथवा अन्य गुणवत्ता से संबंधित यदि कोई हो तो सर्टिफिकेट होने संबंधी घोषणा पत्र/दस्तावेज की प्रति।	
16	संस्था द्वारा औषधि निर्माण/औषध प्रयोगशाला में वर्तमान में आवश्यक सभी विधि सम्मत प्रावधानों का पालन किए जाने संबंधी घोषणा-पत्र।(संलग्नक- च)	
17	गत तीन वर्षों (2012-13, 2013-14, 2014-15) की सनदी लेखाकार (सी.ए.) द्वारा जारी फर्म की अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति।	
18	वाणिज्यिक कर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र व कर चुकता प्रमाण पत्र (दिनांक 31.03.2015 तक)	
19	बोली, बोली प्रपत्र, बोली की समस्त नियम व शर्तों से सहमत होने की घोषणा पत्र। (संलग्नक- छ)	

20	फर्म जिस निर्मित औषधि की बोली में हिस्सा ले रही है, उसके निर्माण व एफ.ओ. आर. आपूर्ति हेतु बोलीदाता का घोषणा पत्र।(संलग्नक -ज)	
21	वर्तमान में उपलब्ध स्टॉक की जानकारी के प्रपत्र।	
22	बोली के लिये प्रोप्राइटर के अलावा यदि अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर रखा, हो तो प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी पावर ऑफ अटॉर्नी।	
23	औषधियों का निर्माण भारत सरकार द्वारा निर्धारित अत्यावश्यक औषधियों की सूची में उल्लेखित सन्दर्भों के अनुसार ही किए जाने बाबत घोषणा-पत्र। (संलग्नक -झ)	
24	मानकों के अनुरूप गुणवत्ता न पाये जाने पर आपूर्ति की गयी औषधियों को अपने निजी व्यय पर वापस प्राप्त करने संबंधी स्वघोषित प्रमाण पत्र। (संलग्नक- ज)	
25	औषधियों की आपूर्ति, आपूर्ति आदेश में दर्शाये गये समय के अनुसार करने व पेनल्टी संबंधी स्वघोषित प्रमाण पत्र। (संलग्नक -ट)	
26	बोलीदाता द्वारा जो मूल्य भरा गया है, इससे कम दर पर निर्मित औषधि की आपूर्ति अनुबन्ध अवधि के दौरान नहीं किए जाने के आशय का घोषणा पत्र। (संलग्नक -ठ)	
27	पेन कार्ड की प्रति	
28	उत्पादन शुल्क पंजीयन प्रमाण पत्र व गत 3 वर्षों में उत्पादन शुल्क चुकाने का चालान/रिटर्न	
29	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के सेक्शन 7 (2) के अन्तर्गत शपथ-पत्र (संलग्नक -ड.)	
30	मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने जिन निर्मित औषधि हेतु बोली दी है, उनके उनके संबंध में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 29 तक में संलग्न किए गये सभी घोषणा पत्र /प्रमाण पत्र/अन्य सूचना सत्य एवं पूर्णतया सही है। इनमें किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है और न ही कोई कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो बिना किसी न्यायिक कार्यवाही एवं अन्य कोई कार्यवाही किये बिना मेरी/हमारी बोली जो स्वीकृत की गई है, रद्द कर दी जावे एवं हमारे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए मिशन स्वतंत्र है। यह शपथ पत्र 500/- रु के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित करवाकर स्कैन कर अपलोड करना होगा। (संलग्नक- ढ) इस शपथ पत्र की मूल प्रति दिनांक 25.04.2016 समय सायं 5.00 बजे तक मूल फार्म शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के बैंकर्स चैक/डी.डी. के साथ प्रस्तुत करनी होगी।	

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय सील
नाम व पता
मय दूरभाष



राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी (आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग)

आयुष भवन, सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर (राज.)

Email- mdnamrsas@gmail.com, pdnamrsas@gmail.com

(दर संविदा)

1. बोली प्रपत्रों को वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in/> sppp.rajasthan.gov.in एवं ayurved.rajasthan.gov.in में से किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इस बोली में भाग लेने वाले बोलीदाता बोली को इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा करावें।
2. विभागीय बोलियों ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 25.04.2016 अपरान्ह 5.00 बजे तक है। बोली भौतिक रूप से स्वीकार नहीं होगी।
3. तकनीकी बोली दिनांक 25.04.2016 को अपरान्ह 1.00 बजे राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, आयुष भवन सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर राजस्थान में खोली जायेगी। सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी।
4. बोली के 2 इलेक्ट्रॉनिक लिफाफे होंगे:- (1) तकनीकी बोली (2) वित्तीय बोली। प्रत्येक लिफाफे पर स्पष्ट रूप से फर्म का नाम व पता एवं दूरभाष नम्बर तथा जिस भाग (तकनीकी बोली या वित्तीय बोली) के लिए बोली दी गई है, उसका नाम अंकित करें।
5. तकनीकी बोली में वांछित दस्तावेजों की प्रतियाँ, जो कि अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्व-प्रमाणित हो, स्केन कर अपलोड करनी होगी।
6. वित्तीय बोली भरने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर ले कि, अनुलग्नक एक (1) में वर्णित औषधी व उसकी मात्रा को वह निर्धारित समय में मिशन द्वारा दिए गए आपूर्ति आदेश के अनुसार आपूर्ति के लिए सक्षम है तथा मिशन द्वारा चाहे गए क्वॉट के अनुसार व चाहे गए स्थान पर आपूर्ति करने हेतु सक्षम है।
7. वित्तीय बोली (बोली दर) के द्वितीय इलेक्ट्रॉनिक लिफाफे में बोली दरें ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-2) में प्रत्येक निर्मित औषधी की आपूर्ति मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्रति पैकिंग यूनिट दर अंकित की जानी है। अर्थात् प्रति इकाई दर देनी है।
8. आपूर्ति की गई औषधि यदि निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो बोलीदाता स्वयं के खर्चों पर उसे बदलेगा। यदि फिर भी निर्मित औषधि निर्धारित मानक के अनुरूप उपलब्ध नहीं कराता है, तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। बोलीदाता से परिनिर्धारित क्षति आरोपित कर नियमानुसार वसूली की जावेगी।
9. बोली प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड दिनांक 22.03.2016 अपरान्ह 3.00 बजे से किया जा सकता है।
(अ) बोली प्रपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 25.04.2016 अपरान्ह 05.00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं। प्राप्त तकनीकी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर मिशन निदेशक, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 27.04.2016 को अपरान्ह 1.00 बजे आन लाईन खोली जावेगी। (बोलीदाता चाहे तो उपस्थित रह सकता है।)
(ब) यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है, तो अगले कार्य दिवस पर उसी समय बोलियाँ खोली जावेगी।
(स) बोली से सम्बन्धित समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी। सूचना ई-मेल से दी जावेगी।

- (द) बोली खोलने की तिथि को किसी कारण वश यदि सारी बोलीयाँ नहीं खोली जा सकती है तो अगले कार्य दिवस में शेष बोलीयाँ खोलने का कार्य जारी रहेगा ।
- (य) तकनीकी बोलीयाँ में सफल बोलीदाताओं का **वित्तीय बोली** प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, आयुष भवन, सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर कार्यालय में खोली जावेगी। जिसके लिए निर्धारित समय एवं दिनांक बाबत सूचना सफल बोलीदाताओं को ई-मेल से दी जावेगी।
10. बोली प्रपत्रों में बोलीदाता के लिए अपेक्षित पात्रता कसौटी (Eligibility Criteria) तथा बोलीदाता की पात्रता, स्पेसिफिकेशन, आपूर्ति की अनुमानित मात्रा का विवरण, नियम एवं शर्तें बोली प्रपत्र में यथास्थान पर वर्णित हैं।
 11. वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से दिनांक 31.05.2017 तक बोली दरें स्वीकृत/अनुमोदन हेतु मान्य रहेगी। यदि बोलीदाता उस अवधि में अपनी बोली अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी बोली वापस लेता है, तो उसकी बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
 12. किसी भी बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन के पास सुरक्षित हैं।
 13. वित्त विभाग के आदेश संख्या:एफ.1(1)एफ.डी./जीएफएण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.11 परिपत्र संख्या 19/2011 के अनुसार 1000/-₹0 प्रासेसिंग फीस की राशि बोली शुल्क 1000/-₹0 के अतिरिक्त देनी होगी। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट **मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल., जयपुर** के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए।
 14. बोलीदाता को वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर स्वयं को रजिस्टर्ड करवाना होगा। ऑनलाईन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट, **इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट- 2000** के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक बोली में **डिजिटल साईन** करने हेतु काम आयेगा। बोलीदाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सीसीए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
 15. बोलीदाताओं को बोली प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेगे। कोई भी प्रस्ताव व्यक्तिगत/भौतिक बोली प्रपत्र में स्वीकार्य नहीं होगा।
 16. ऑन लाईन बोलीयाँ निर्धारित दिनांक एवं समय के अनुसार खोली जावेगी।
 17. इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बोली प्रपत्रों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी बोली प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गई है। ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज व्यक्तिगत/भौतिक रूप से स्वीकार नहीं किये जावेंगे। कोई भी बोली इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है, तो इसके लिए मिशन जिम्मेदार नहीं होगा।
 18. बोली प्रपत्रों के अनुसार चाहे गये आवश्यक दस्तावेज एवं सूचियों को चाहे अनुसार पूर्ति कर ऑनलाईन अपलोड करेगे।
 19. असुविधा से बचने के लिये कृपया आवेदन हेतु अंतिम दिनांक की प्रतीक्षा नहीं करें।
 20. समस्त आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही करें। बोली दाता द्वारा संपूर्ण बोली प्रपत्र (यथा तकनीकी बोली प्रपत्र, ई-बोली से संबंधित नियम व शर्तें एवं सूचना, औषधि आपूर्ति की बोली एवं बोली की सामान्य शर्तें) के प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षर कर स्कैन करने के उपरांत अपलोड करना अनिवार्य होगा। अतः संपूर्ण बोली प्रपत्र मय वाछित दस्तावेज/प्रपत्र ऑन-लाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 21. बोली प्रपत्र अपलोड करने की अंतिम दिनांक 25.04.2016 समय सायं 05:00 बजे तक निम्नांकित मूल दस्तावेज मिशन निदेशक, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी को भौतिक रूप से प्राप्त हो जाने चाहिये। किसी भी कारणवश मूल दस्तावेज निर्धारित अवधि तक कार्यालय में भौतिक रूप से प्राप्त नहीं होते हैं

तो मिशन जिम्मेदार नहीं होगा व जिन फर्मों के निम्नांकित दस्तावेज मूल रूप से निर्धारित समय तक कार्यालय में प्राप्त नहीं होंगे तो उनकी तकनीकी बोली नहीं खोली जावेगी :-

(अ) बोली फार्म शुल्क ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक रूपये 1000/-मिशन निदेशक, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी,जयपुर के नाम जयपुर में भुगतान योग्य।

(ब) प्रोसेसिंग फीसशुल्क ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक रूपये 1000/-M.D,R.I.S.L., Jaipur, के नाम जयपुर में भुगतान योग्य।

(स) बोली प्रतिभूति राशि ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक रूपये 17.84/- लाख रूपये-मिशन निदेशक, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी,जयपुर के नाम जयपुर में भुगतान योग्य।

(द) तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दू संख्या 7 के क्रम संख्या 30 के अनुसार रूपये 500/-की राशि के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर दिये जाने वाला मूल शपथ पत्र।

(य) रियायती बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति बाबत राजस्थान के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग होने संबंधित मूल शपथ-पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति।

22. प्री-बिड बैठक के उपरांत यदि ई -बोली की शर्तों कोई परिवर्तन/संशोधन किया जाता है तो बोली दाताओं को संशोधित बोली की सूचना राजस्थान स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (sppp.rajasthan.gov.in) तथा वेबसाइट <http://eprop.rajasthan.gov.in> एवं ayurved.rajasthan.gov.in के माध्यम से ही दी जावेगी। इसके लिये समाचार-पत्रों में अलग से कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय सील
पूरा नाम पता :-

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन
राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी,जयपुर

अधिकृत प्रतिनिधि/स्वयं प्रोप्राईटर (जो लागू नहीं हो काट दे)



राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी

(आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग)

आयुष भवन, सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर (राज.)

Email- mdnamrsas@gmail.com, pdnamrsas@gmail.com

(दर संविदा)

औषधी आपूर्ति की बोली एवं बोली की सामान्य शर्तें

(1) होम्योपैथिक निर्मित औषधी ऑन लाईन बोली फार्म की जानकारी :-

1. बोली में अंकित निर्मित औषधि नमूने के अनुसार सप्लाई करनी होगी।
2. बोली में अंकित निर्मित औषधि की उल्लेखित मात्रा के अनुसार आपूर्ति मिशन निदेशक के निर्देशों/आदेश के अनुसार करनी होगी। अपूर्ण/आंशिक आपूर्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी।
3. बोलीदाता को किसी निर्मित औषधि के नमूने के अनुसार नहीं पाये जाने पर अस्वीकृत निर्मित औषधि को 10 दिवस में बदल कर देना होगा। यदि फिर भी औषधि अनुमोदित नमूने के अनुसार उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो पूरे उस निर्मित औषधि की आपूर्ति अस्वीकार कर दी जावेगी व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) क्रय की जाने वाली विषय वस्तु के नमूने: -

बोलीदाता द्वारा जिस निर्मित औषधि के लिए दरें वित्तीय बोली (अनुलग्नक -2) में दी गई है, उनके पांच-पांच नमूने सील पैक कर उन पर औषधियों का नाम व विवरण तथा फर्म का नाम अंकित कर तकनीकी बोली को खोलने की तिथि से पूर्व, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, आयुष भवन, सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। प्रत्येक नमूने पर बोलीदाता द्वारा अपनी फर्म का नाम लिखना होगा व अपने हस्ताक्षर करने होंगे।

(3) ई-बोली के माध्यम से बोली प्रस्तुत करना :-

विभागीय बोलीयाँ ई-प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से बोली विज्ञप्ति के अनुसार ऑनलाईन प्रस्तुत की जावेगी। तकनीकी बोली विज्ञप्ति में अंकित दिनांक एवं समय पर कार्यालय, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर में उपस्थित बोलीदाता (यदि कोई उपस्थित हो) के समक्ष ऑनलाईन खोली जावेगी। बोली सम्बन्धी सभी सूचनाएँ ई-मेल से दी जावेगी, जो मान्य होगी।

(4) बोली ई-प्रोक्योरमेन्ट से स्वीकार करना:-

केवल उन्ही बोलीयाँ पर विचार किया जावेगा जो बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से ई-प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से भरी होगी। बोली प्रतिभूति राशि, बोली प्रपत्र की शुल्क व प्रोसिसिंग शुल्क की राशि के मूल डी.डी./बैंकर्स चैक, रियायती बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति बाबत राजस्थान के लघु उद्योग होने संबंधित मूल शपथ-पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति व तकनीकी बोली के बिन्दु संख्या 7 के 30 पर अंकित शपथ पत्र 500 /- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित करवाकर मूल प्रति मिशन निदेशक, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर के कार्यालय में बोली की अन्तिम दिनांक 25.04.2016 समय अपराह्न 5.00 से पूर्व अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे। इसके अभाव में तकनीकी बोली नहीं खोली जावेगी, साथ ही इस प्रपत्र के बिन्दु संख्या 50 में वांछित दस्तावेज स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य है इसके अभाव में तकनीकी बोली नहीं खोली जावेगी।

(5) क्रय हेतु सक्षम अधिकारी:-

क्रय समिति द्वारा स्वीकृत दरों पर बोली फार्म में अंकित औषधियों की मात्रा के लिये क्रय आदेश जारी करने हेतु मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी प्राधिकृत होंगे।

(6) एक निर्मित औषधि के लिए एक ही वित्तीय दरें अंकित करना:-

सामग्री का प्रदाय रसायनशाला अजमेर, पर करना होगा, अर्थात् एफ.ओ.आर. उक्त रसायनशाला अजमेर, होंगी। अतः बोलीदाता प्रत्येक निर्मित औषधि की आपूर्ति की प्रति इकाई दर वित्तीय बोली में उक्त को ध्यान में रखते हुए ऑनलाईन अंकित करें।

नोट:-

1. दरें सभी प्रकार के खर्चों जैसे भाड़ा, पैकिंग, मजदूरी, चूंगी एवं अन्य कर आदि सहित अंकित की जावें, किन्तु केन्द्रीय एवं राजस्थान राज्य बिक्रीकर (सी.एस.टी. और आर.एस.टी./वैट) को सम्मिलित नहीं किया जावे, उन्हें अलग से निर्धारित कॉलम में ही अंकित करें।
2. निर्मित औषधि को रसायनशाला अजमेर, पर पहुँचाने का समस्त खर्चा बोलीदाता को वहन करना होगा।
3. माल पहुँचाने व उतरवाने का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।
4. यदि बोलीदाता वित्तीय बोली में ऑनलाईन दरों के साथ किसी प्रकार का कर (सी.एस.टी./वैट) का निर्धारित कॉलम में अंकन नहीं करता है, तो दरें कर सहित मानी जावेगी।
5. अनुलग्नक 1 में अंकित औषधियों की मात्रा व उनके किट बनाये जाने एवं उनके निर्धारित रसायनशाला अजमेर, पर सुरक्षित पहुँचाने, पैकिंग व अन्य खर्च आदि सभी बोलीदाता को वहन करने होंगे। इसके लिए मिशन द्वारा कोई खर्चा/क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

(7) बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई दरों की वैधता:-

बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई दरें, वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से 31.05.2017 तक निर्णय हेतु वैध होंगी। इस अवधि में अनुबंध एक साथ अथवा विभाजित कर एक से अधिक बार मिशन की सुविधानुसार संपादित किया जा सकेगा एवं बोलीदाता बोली में दी गई दरों पर अनुबंध करने को बाध्य होगा। अन्यथा बोली शर्त संख्या 20 (बीस) के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। अनुबंध हो जाने के पश्चात स्वीकृत दरों की वैधता शर्त संख्या 8 से नियंत्रित होगी।

(8) बोली की अवधि :-

अनुमोदित/स्वीकृत दरों की दर संविदा वैधता अवधि वित्तीय बोली खुलने की दिनांक से 31.05.2017 तक मान्य होगी। यदि आगामी नई बोली होने पर उसकी दरें अनुमोदित होने की दिनांक, जो भी बाद में हो, तक के लिए स्वीकृत दरों पर आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा तथा केन्द्रीय भण्डार कृषि समिति के अनुमोदन पर कृषि अधिकारी एवं बोलीदाता के आपसी समझौते पर तीन माह के लिए उन्हीं दरों एवं शर्तों पर बढ़ाई जा सकती है।

(9) बोली के साथ बोली विज्ञप्ति के अनुसार तैयार डी.डी./बैंकर्स चैक स्कैन कर अपलोड करना :-

बोली विज्ञप्ति अनुसार बोली के प्रत्येक भाग की बोली राशि पृथक-पृथक निम्नांकित किसी एक प्रारूप में ई-बोली भरते वक्त स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है। बोली प्रतिभूति राशि व बोली फार्म शुल्क के अभाव में प्राप्त बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। बोली फार्म शुल्क तथा बोली प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक मिशन निदेशक, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी जयपुर के नाम से ही स्वीकार्य है। प्रोसेसिंग शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक प्रबंध निदेशक, आर.आई.एस.एल जयपुर के नाम से ही स्वीकार्य है।

नोट:-

1. विभाग में किसी बोलीदाता की पूर्व में जमा बोली राशि/सुरक्षा अथवा अन्य बकाया राशि का समायोजन इस बोली की बयाना राशि हेतु समायोजित नहीं किया जावेगा।
2. जो फर्म आयुक्त उद्योग विभाग राजस्थान द्वारा बोली में जॉब अनुसार दर्शाये गए निर्मित औषधि के लिए सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत है, को बोली फार्म शुल्क निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत तथा बोली प्रतिभूति राशि प्रभावी दरों (प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा का 0.5 प्रतिशत) से जमा करानी होगी। लेकिन उन्हें अपने स्थायी पंजीकरण की एवं क्षमता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति बोली के साथ प्रेषित करना व शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

(10) निर्धारित विवरण एवं विभागीय नमूने के अनुसार ही सामग्री की आपूर्ति करना तथा आपूर्ति की गई सामग्री में से नमूने की प्रयोगशाला में जांच करवाना :-

निर्मित औषधि बोली प्रपत्र अनुलग्नक- 1 में उल्लेखित निर्मित औषधि की आपूर्ति मात्रा के अनुसार संबंधित रसायनशाला अजमेर, में आपूर्ति करनी होगी। जिसके लिए किसी प्रकार का परिवहन व्यय अलग से देय नहीं होगा। किसी सामग्री में लाईसेंस अथवा प्रमाण पत्र आवश्यक होने की स्थिति में सक्षम स्तर से अधिकृत लाईसेंस/प्रमाण पत्र लेने का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा

नोट:-

1. बोलीदाता द्वारा वित्तीय बोली में जिन औषधियों की दर दी गई है, उन औषधियों के पांच-पांच नमूने अलग-अलग पैकिंग सहित सील बन्द रूप से जिन पर औषधियों की सूची चस्पा हो, तकनीकी बोली खोलने की अन्तिम तिथि से पूर्व मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, आयुष भवन सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। बोलीदाता द्वारा ये नमूने बोली की सामग्री की आपूर्ति के 1 माह पश्चात वापस लिये जा सकेंगे इसके पश्चात उनकी वापसी का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
2. प्रदाय की जाने वाली निर्मित औषधि निर्धारित मापदण्ड व नमूने के अनुसार हो। यदि मापदण्डों के अनुसार नहीं पाई जाती है, तो उसे बदलकर बोलीदाता को मापदण्ड व नमूने अनुसार निर्मित औषधि आपूर्ति करनी होगी, जिसके लिए अलग से कोई व्यय देय नहीं होगा।
3. औषधियों की आपूर्ति, उनकी गुणवत्ता, किसी प्रकार के परिवहन होते समय नुकसान से बचाव आदि को ध्यान में रखते हुए उचित मजबूत पैकिंग में करनी होगी। पैकिंग व्यय अलग से देय नहीं होगा।
4. आपूर्ति की गई निर्मित औषधियों के प्रत्येक बैच में से सप्लाई/वितरण/स्टोरेज पोईन्ट से जांच हेतु सैम्पल लिए जावेंगे तथा इनकी जांच क्रेता अधिकारी द्वारा विभिन्न सूचीबद्ध प्रयोगशाला में कराई जाएगी जिसका समस्त व्यय आपूर्तिकर्ता (बोलीदाता) को वहन करना होगा। रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार भुगतान किया जा सकेगा।

(11) स्वीकृत वस्तुओं के मूल्य का भुगतान:-

स्वीकृत वस्तुओं के मूल्य का भुगतान बोलीदाता से तीन प्रतियों में बिल प्राप्त होने पर बोलीदाता को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते के माध्यम से भुगतान करने की व्यवस्था की जावेगी यदि ड्राफ्ट द्वारा भुगतान चाहने पर बोलीदाता को बैंक ड्राफ्ट द्वारा नियमानुसार भुगतान की व्यवस्था भी की जा सकेगी, परन्तु ड्राफ्ट का व्यय बोलीदाता को वहन करना होगा।

(12) बोलीदाता द्वारा बोली किसी अन्य एजेन्सी को देना:-

बोलीदाता, बोली किसी अन्य एजेन्सी को न तो Sublet करेगा और न ही औषधियों की सप्लाई करवाएगा।

(13) समानान्तर बोली:-

विभाग को समानान्तर बोली तय करने का अधिकार RTPP Rule 2013 के नियम 29 (2) एफ के अनुसार होगा। उपलब्धता एवं आवश्यकताओं के मध्येनजर न्यूनतम दर पर अन्य फर्मों को भी क्रयादेश दिया जा सकेगा।

(14) क्रय की मात्रा:-

क्रय की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा जो बोली में दर्शाई गई है वह वर्तमान आवश्यकता के अनुसार है, जो केवल अनुमानित है। न्यूनतम क्रय की कोई सीमा नहीं होगी। क्रयादेश विभाग की आवश्यकतानुसार दर संविदा अवधि दिनांक 31.05.2017 के दौरान दिये जायेंगे। क्रय समिति की सिफारिश पर बोली में अंकित मात्रा से 50 प्रतिशत तक दर संविदा अवधि दिनांक 31.05.2017 के दौरान क्रय आदेश बढ़ाया जा सकता है।

(15) सामान सप्लाई की अवधि:-

बोलीदाता को क्रयादेश निर्गमन दिनांक से 60 दिन की अवधि में सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। 60 वे दिन राजकीय अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस के दोपहर 3.00 बजे तक आपूर्ति स्वीकार्य हो सकेगी।

यदि निर्धारित समय में बोलीदाता सामग्री सप्लाई करने में असमर्थ रहता है, तो निम्नांकित दर से जितनी अवधि का विलम्ब हुआ है, जॉब के कीमत के आधार पर परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षति पूर्ति) के रूप में, न कि दण्ड के रूप में राशि वसूल की जावेगी।

(क)	माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/4 भाग की देरी पर	2.5 प्रतिशत
(ख)	माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/4 से अधिक लेकिन 1/2 भाग की अवधि तक देरी पर	5 प्रतिशत
(ग)	माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/2 भाग से अधिक लेकिन 3/4 भाग की अवधि तक की देरी पर	7.5 प्रतिशत
(घ)	माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 3/4 भाग से अधिक लेकिन कुल अवधि के बराबर की अवधि तक की देरी पर	10 प्रतिशत

सामान्यतः क्रयादेश निर्गम की दिनांक से 60 दिन के पश्चात माल स्वीकार नहीं किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में यदि प्रदायकर्ता उचित बाधाओं के कारण संविदा अन्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समयवृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह इसके लिए निवेदन, बाधा उत्पन्न होने पर तुरन्त उसी समय करेगा। यदि माल का प्रदाय करने से उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई है, तो सुपुदगी अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित नुकसान (सहमति क्षति पूर्ति) सहित या रहित भी की जा सकेगी। केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति की राय से उचित कारणों पर सम्पूर्ण जॉब के मूल्य पर अधिकतम 10 प्रतिशत तक परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षति पूर्ति) वसूल कर सामग्री स्वीकार्य की जा सकेगी।

नोट:- निर्धारित अवधि 60 दिवस में सप्लाई करने में असमर्थ हो तो आपूर्ति आदेश प्राप्ति के 3 दिवस के भीतर अवगत करावे, ताकि अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जा सके।

(16) आदेशित आपूर्ति के अभाव में बोलीदाता की जोखिम एवं लागत पर क्रय करना :-

1. बोलीदाता द्वारा क्रयादेश की आपूर्ति अनुमोदित नमूने के अनुसार निर्धारित अवधि में या शर्त संख्या 15 के अध्यक्षीन बढी हुई अवधि में आपूर्ति करने में असफल रहता है तथा सैम्पल क्वालिटी स्टैण्डर्ड व स्पेशिफिकेशन के अनुरूप नहीं पाई जाने पर ऐसी असफल आपूर्ति के लिए आदेशित अधिकारी को यह मानने का पर्याप्त कारण है कि निर्मित औषधि की अपूर्ण आपूर्ति हुई है। बोलीदाता समस्त निर्मित औषधि आपूर्ति में असफल रहा है तथा सुरक्षा राशि जब्त करने/10 प्रतिशत परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षति पूर्ति) आरोपित के आदेश दे सकेगा।
2. आपात स्थिति में अपवाद स्वरूप मिशन/क्रेता अधिकारी के पास यह विकल्प सुरक्षित है कि वह अपूर्ण आपूर्ति की गई निर्मित औषधि को बोलीदाता की जोखिम लागत पर समिति के माध्यम से क्रय कर सकेगा, जो बोलीदाता को मान्य होगी। इस बिन्दु पर किसी प्रकार का विवाद स्वीकार नहीं होगा।

(17) प्राईस फॉल क्लोज:-

दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्यक्षीन होंगी।। कीमत गिरने का खण्ड, दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रिया विधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मों या सेवाएँ देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय-वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत पर करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत को उनकी स्वीकारोक्ति को सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जावेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गई कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जावेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

यदि बोली अवधि में बोलीदाता अनुमोदित दरों को कम करता है अथवा उसी प्रकार के माल को कम दर पर अन्य किसी को बेचता है, तो उसे अध्यक्ष, केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति, राष्ट्रीय आयुष मिशन,

राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर को इस प्रकार की दरों में कमी एवं कम दरों पर बेचे गये माल की सूचना देनी होगी तथा जिस दिनांक से दरों में कमी की गई है, उसी दिनांक से मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर को दिये गये सामान की कीमत भी कम दर से लगानी होगी। अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य किसी को माल नहीं बेचने का प्रमाण-पत्र बोलीदाताओं को बिल में अंकित करना होगा।

बोली अवधि में या उसके बाद भी यह तथ्य प्रकाश में आने पर बोलीदाता द्वारा प्राईस फॉल क्लोज शर्तों की पालना नहीं की गई है, तो फर्म बोलीदाता द्वारा मिशन से प्राप्त अधिक राशि सूचित करने के बाद जमा कराने के लिए उत्तरदायी होगा। प्राप्त अधिक राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(18) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराना तथा अनुबंध पत्र भरकर प्रस्तुत करना:-

भण्डार क्रय समिति द्वारा स्वीकृत वस्तुओं की सूचना मिलने पर बोलीदाता को पत्र निर्गमित होने के 10 दिन के अन्दर नियमानुसार अपेक्षित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एस. आर. 17 में अनुबन्ध करना होगा। निर्धारित कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि आदेशित मूल्य के 5 प्रतिशत निम्न में वर्णित किसी भी एक प्रारूप में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर को जमा करानी होगी :-

1. डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक जो मिशन निदेशक, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर के नाम हो।
2. एन.एस.सी.(फर्म के नाम से क्रय की गई हो) जो मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर के नाम प्लेज्ड हो।

नोट:-

1. अनुबन्ध सम्पादित नहीं करने की स्थिति में कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जावेगी व फर्म को काली सूची में डाला जा सकेगा।
2. पूर्व वर्षों की जमा सुरक्षा/बोली राशि अथवा अन्य बकाया राशि का समायोजन इस हेतु नहीं किया जावेगा।
3. वर्तमान बोली की बोली राशि का समायोजन कार्य सम्पादन प्रतिभूति में बोलीदाता के पक्ष में अनुमोदित समस्त आईटमों का अनुबंध उनके द्वारा कर दिये जाने पर तथा बोली की सभी आईटमों का निर्णय हो जाने पर किया जा सकेगा।
4. जो फर्म आयुक्त उद्योग विभाग राजस्थान द्वारा बोली में जॉब अनुसार दर्शाये गए निर्मित औषधी के लिए सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत है, उन्हें उन वस्तुओं के लिए उस समय प्रभावी दर से सुरक्षा राशि (प्रदाय आदेश राशि का 1 प्रतिशत) जमा करानी होगी।

(19) अस्वीकृत वस्तुएँ:-

बोलीदाता द्वारा सप्लाई की गई वस्तुएँ अस्वीकृत होने पर, अस्वीकृति की सूचना निर्गमित होने की दिनांक से 30 दिन के अन्दर अस्वीकृत वस्तु को बोली दाता को स्वयं अपने खर्च से उठा लेना होगा। निर्धारित अवधि के बाद अस्वीकृत माल को न उठाने पर उन वस्तुओं के मूल्य का एक प्रतिशत प्रति सप्ताह किराया बोलीदाताओं से वसूल किया जावेगा, जो अस्वीकृत वस्तुओं के मूल्य से अधिक नहीं होगा। वस्तु के खराब होने, टूटने फूटने आदि की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।

बोलीदाता द्वारा अस्वीकृत माल की सूचना निर्गमन दिनांक से 6 माह की अवधि में माल नहीं उठाने पर संबंधित रसायनशाला अजमेर, द्वारा अस्वीकृत माल नीलामी/नष्ट जैसी परिस्थितियों हो कर दिया जावेगा एवं उससे प्राप्त हुई राशि मिशन कोष में जमा करा दी जावेगी।

(20) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा न कराने एवं अनुबंध पत्र भरकर न देने पर बोली प्रतिभूति राशि जब्त करना:-

यदि कोई सफल बोलीदाता नियम 18 में दर्शाई गई अवधि में अथवा वृद्धि की गई अवधि में निर्धारित सुरक्षा राशि जमा नहीं कराता है, एवं समस्त अनुमोदित वस्तु की आपूर्ति हेतु अनुबंध पत्र भरकर नहीं देता है तो बोलीदाता की जमा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी। इस हेतु किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना बोली दाता को नहीं दी जावेगी व फर्म को काली सूची में डाला जा सकेगा।

(21) बोली प्रतिभूति राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि बोलीदाता को लौटाना:-

1. जिस बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी गई है अथवा जिसके पक्ष में किसी भी आइटम की दर स्वीकृत नहीं की गई है, तो ऐसे बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि के पूर्ण निर्णय अथवा बोली खोलने की तिथि के 3 माह पश्चात जो भी देरी से हो, लौटाई जा सकेगी, यदि संबंधित बोलीदाता के विरुद्ध कोई राशि बकाया न हो ।
2. यदि किसी बोलीदाता के विरुद्ध किसी प्रकार की राशि बकाया नहीं हो तो उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि आदेशित आपूर्ति को सफलतापूर्वक पूरा करने की दिनांक से 3 माह बाद लौटाई जा सकेगी। बोलीदाता के विरुद्ध कोई राशि बकाया निकली तो बोलीदाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से ऐसी वसूली करते हुये शेष रही प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी।
3. समस्त स्वीकृत आइटमों का बोलीदाता द्वारा बोली शर्त सं0 18 के अनुसार निर्धारित अवधि में अनुबंध पत्र भरने एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने पर ऐसे बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी यदि बोलीदाता के विरुद्ध कोई बकाया राशि नहीं निकलती है तो।

(22) सामान के साथ प्राप्त पैकिंग सामग्री को नहीं लौटाना:-

बोलीदाता द्वारा सप्लाई किये गये माल के साथ जो भी पैकिंग सामग्री जैसे खोखे, बोरियों, डिब्बें, पत्तियाँ आदि होगी, वो निःशुल्क होगी तथा बोलीदाता को लौटाना नहीं जावेगी। बोलीदाता सप्लाई करने वाले माल को ठीक ढंग से पैकिंग के लिए उत्तरदायी होंगे। औषध परिवहन के समय रास्ते में किसी प्रकार की क्षति व हानि के लिए मिशन की जिम्मेदारी नहीं होगी ।

(23) राज्याधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देना:-

बोली स्वीकृति हेतु अथवा बोली संबंधी किसी कार्य हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार विभाग के किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देना या उनके पास सिफारिश पहुँचाना, गम्भीर अपराध समझा जावेगा तथा ऐसे बोलीदाता की बोली स्वीकार्य नहीं की जावेगी और यदि स्वीकार हो जाती है, तो किसी भी समय रद्द की जा सकती है।

(24) आयात लाइसेंस:-

यदि किसी वस्तु के लिये आयात लाइसेंस/अनुज्ञापत्र की आवश्यकता है, तो उसकी व्यवस्था करने की उत्तरदायित्व स्वयं बोलीदाता का होगा।

(25) सुरक्षित अधिकार:-

मिशन निदेशक एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय भण्डार कग्र समिति, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर को अधिकार होगा कि वे बिना कोई कारण बताये किसी भी वस्तु की दरें, सबसे कम दर स्वीकार न करके उँची दरे स्वीकृत कर ले अथवा कोई भी दर स्वीकार न करें।

(26) कानूनी विवाद क्षेत्र:-

समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।

(27) वास्तविक निमार्ता द्वारा बोली भरी जाना:-

बोली केवल उन्हीं वैध विनिर्माण अनुज्ञप्तिधारक उत्तम विनिर्माण व्यवहार (जी.एम.पी.) अनुपालना वाली गैर सरकारी इकाईयों द्वारा भरी जा सकेगी, जो एतद द्वारा विहित पुरोभाव्य शर्तें पूर्ण करती हो :-

1. उक्त इकाईयों के पास स्वयं का ड्रग्स विनिर्माण का लाइसेंस हो।
2. उक्त इकाईयां विगत 3 वर्षों से औषधियों का निर्माण व विक्रय कर रहे हो।
3. उक्त बोली स्वीकार होने के पश्चात् जिस भी उनवान से बोली प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है, उसी उनवान से बिल आदि भुगतान हेतु मिशन के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगे। उक्त बिलो के अतिरिक्त किसी अन्य उनवान के प्रस्तुत बिलो के भुगतान हेतु स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं इस सम्बन्ध में मिशन किसी प्रकार के दायित्वाधीन नहीं होगा।

(28) बोली दरें अंकित करना:-

वित्तीय बोली में दरें ऑन लाईन प्रपत्र में भरी जावेगी। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्रीकरों की राशि को पृथक से दिखाना चाहिए। औषधियों की सूची में अंकित औषधी के नाम में भाषा संबंधित कोई अन्तर हो तो अथवा अन्य पैकिंग में हो तो दर प्रस्तुत करने वाली सूची में ही उसके सामने पृथक से विवरण अंकित करे, लेकिन निर्मित औषधी में घटक परिवर्तित नहीं होने चाहिए।

(29) **मूल्य/क्रय अधिमान :-**

इस हेतु RTPP Rule 2013 व अधिनियम 2012 के अन्तर्गत नियम व प्रावधान तथा वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 प्रभावी होंगे।

(30) **बोली को वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> के माध्यम से प्रेषित की जा सकेगी।**

तकनीकी बोली प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करने वाले प्रपत्रों की सूची:-

क्र.स.	विवरण
1.	रियायती बोली प्रपत्र शुल्क राशि, बोली प्रतिभूति, कार्य सम्पादन प्रतिभूति बाबत् राजस्थान के रजिस्टर्ड सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग होने संबंधी शपथ पत्र व प्रमाण पत्र
2	कम्पनी/फर्म/संस्था/सोसायटी के मेमोरेन्डम/संविधान व रजिस्ट्रेशन की प्रति।
3	स्वयं के नाम से औषधि विनिर्माण लाईसेन्स मय अद्यावधि नवीनीकरण प्रमाण पत्र एवं निर्माण की जाने वाली औषधियों की अनुमोदित सूची की प्रति। (लोन लाईसेन्स स्वीकार्य नहीं होगा)
4	अद्यतन जारी जी0एम0पी0 प्रमाण-पत्र की प्रति।
5	निर्माता के पास रसायनशाला में औषध परीक्षण प्रयोगशाला होने संबंधी घोषणा पत्र/दस्तावेज की प्रति। (यदि हो तो)
6	उद्योग विभाग द्वारा जारी लाईसेन्स की प्रति।
7	बोलीदाता द्वारा स्वयं औषध निर्माता होने का घोषणा पत्र। (संलग्नक -ख)
8	विगत तीन वर्षों (2012-13, 2013-14, 2014-15) में होम्योपैथिक आषधियों का औसतन टर्न ओवर रूपये 1.00 करोड न्यूनतम हो, अर्थात् गत तीन वर्षों होम्योपैथिक आषधियों का सकल टर्न ओवर रूपये 3.00 करोड हो।(संलग्नक -ग)
9	किसी भी राज्य/केन्द्र में काली सूची में (Blacklisted) न किये जाने के संबंध में शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित। (संलग्नक -घ)
10	औषधि नियंत्रक से जारी नॉन कन्विक्शन (NON- CONVICTION) प्रमाण पत्र जो छः माह से पुराना न हो।
11	बोली प्रतिभूति, बोली फार्म शुल्क व प्रोसेसिंग फीस के डी.डी./बैंकर्स चैक की प्रति। मूल डी. डी व बैंकर्स चैक दिनांक 25.04.2016 समय 05:00 तक कार्यालय में भौतिक रूप से प्राप्त होना आवश्यक है।
12	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (RTTP) अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के हस्ताक्षरित A,B,C,D एनेक्सर। (संलग्नक -ड.)
13	ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स नियम 1945 के प्रावधानों में वर्णित शैड्यूल टी.ए.के अनुसार औषध निर्माण हेतु उपयोग में लिये गये कच्चे औषध द्रव्यों के गत तीन वर्ष की सूची सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति।
14	निर्माता द्वारा विगत तीन वर्षों (2012-13 से 2014-15) से निरन्तर निर्मित होम्योपैथिक औषधियों की बैचवार सूची सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति।
15	निर्माता के आई.एस.ओ अथवा अन्य गुणवत्ता से संबंधित यदि कोई हो तो सर्टिफिकेट होने संबंधी घोषणा पत्र/दस्तावेज की प्रति।
16	संस्था द्वारा औषध निर्माण/औषध प्रयोगशाला में वर्तमान में आवश्यक सभी विधि सम्मत प्रावधानों का पालन किए जाने संबंधी घोषणा -पत्र।(संलग्नक- च)
17	गत तीन वर्षों (2012-13, 2013-14, 2014-15) की सनदी लेखाकार (सी.ए.) द्वारा जारी फर्म की अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति।
18	वाणिज्यिक कर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र व कर चुकता प्रमाण पत्र (दिनांक 31.03.2015 तक)
19	बोली, बोली प्रपत्र, बोली की समस्त नियम व शर्तों से सहमत होने की घोषणा पत्र। (संलग्नक- छ)
20	फर्म जिस निर्मित औषधि की बोली में हिस्सा ले रही है, उसके निर्माण व एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु बोलीदाता का घोषणा पत्र।(संलग्नक -ज)

21	वर्तमान में उपलब्ध स्टॉक की जानकारी के प्रपत्र।
22	बोली के लिये प्रोप्राइटर के अलावा यदि अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर रखा, हो तो प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी पावर ऑफ अटॉर्नी।
23	औषधियों का निर्माण भारत सरकार द्वारा निर्धारित अत्यावश्यक औषधियों की सूची में उल्लेखित सन्दर्भों के अनुसार ही किए जाने बाबत घोषणा-पत्र। (संलग्नक -झ)
24	मानकों के अनुरूप गुणवत्ता न पाये जाने पर आपूर्ति की गयी औषधियों को अपने निजी व्यय पर वापस प्राप्त करने संबंधी स्वघोषित प्रमाण पत्र। (संलग्नक- ज)
25	औषधियों की आपूर्ति, आपूर्ति आदेश में दर्शाये गये समय के अनुसार करने व पेनल्टी संबंधी स्वघोषित प्रमाण पत्र। (संलग्नक -ट)
26	बोलीदाता द्वारा जो मूल्य भरा गया है, इससे कम दर पर निर्मित औषधि की आपूर्ति अनुबन्ध अवधि के दौरान नहीं किए जाने के आशय का घोषणा पत्र।(संलग्नक -ठ)
27	पेन कार्ड की प्रति
28	उत्पादन शुल्क पंजीयन प्रमाण पत्र व गत 3 वर्षों में उत्पादन शुल्क चुकाने का चालान/रिटर्न
29	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के सेक्शन 7 (2) के अन्तर्गत शपथ-पत्र (संलग्नक -ड.)
30	मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने जिन निर्मित औषधि हेतु बोली दी है, उनके उनके संबंध में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 29 तक में संलग्न किए गये सभी घोषणा पत्र /प्रमाण पत्र/अन्य सूचना सत्य एवं पूर्णतया सही है। इनमें किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है और न ही कोई कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो बिना किसी न्यायिक कार्यवाही एवं अन्य कोई कार्यवाही किये बिना मेरी/हमारी बोली जो स्वीकृत की गई है, रद्द कर दी जावे एवं हमारे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए मिशन स्वतंत्र है। यह शपथ पत्र 500/- रु के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित करवाकर स्कैन कर अपलोड करना होगा। (संलग्नक- ढ) इस शपथ पत्र की मूल प्रति दिनांक 25.04.2016 समय सायं 5.00 बजे तक मूल फार्म शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के बैंकर्स चैक/डी.डी. के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

उपरोक्त समस्त दस्तावेज सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाकर स्कैन कर तकनीकी बोली के साथ अपलोड किए जाने हैं।

(31) अन्तिम अर्थ एवं निर्णय का अधिकार:-

1. बोली के नियम व शर्तों तथा बोली प्रपत्रों में दिये गये विवरण आदि में मिशन निदेशक द्वारा दिया गया अर्थ एवं निर्णय अन्तिम समझा जावेगा एवं उसे बोलीदाता मानने को बाध्य होगा।
2. मिशन निदेशक को किसी भी बोलीदाता की बोली को बिना कोई कारण बताये स्वीकार करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण व निर्बाध अधिकार होगा।

(32) निजी शर्तें लगाकर बोली प्रस्तुत करना:-

बोली शर्तों के विपरीत बोलीदाता की कोई निजी शर्त मान्य नहीं होगी। यदि किसी बोलीदाता ने कोई निजी शर्त लगा कर बोली दी है, तो वह शर्त तब तक मान्य नहीं होगी जब तक केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति द्वारा उसे स्वीकार नहीं कर लिया जाता।

(33) निरीक्षण अधिकारी:-

तकनीकी बोली खुलने के बाद क्रय समिति यदि आवश्यक समझेगी तो सभी उपक्रमों/संस्थाओं/औषध निर्माताओं द्वारा तकनीकी बोली प्रपत्र में दिये गये प्रपत्रों का सत्यापन करने के लिये निरीक्षण करवा सकेगी तथा निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर फर्म को तकनीकी रूप से योग्य/अयोग्य करार किया जा सकेगा।

(34) बोली शर्तों में शिथिलता करने का अधिकार:-

बोली शर्तों में शिथिलता करने हेतु केवल मिशन निदेशक में शक्तियां निहित हैं।

- (35)** तकनीकी बोली, बोली का भाग होगा। तकनीकी बोली में वांछित दस्तावेज उसी क्रम में संलग्न करें, जिस क्रम में बोली में अंकित है। संलग्नक पर वही क्रम संख्या भी अंकित करें।

- (36) ई-बोली से सम्बन्धित नियम शर्तें एवं सूचना बोली का भाग है।
- (37) राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013) के प्रावधानो के अन्तर्गत वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3/2013 दिनांक 04.02.13 के अनुसार Annexures A, B, C, D भी बोली एवं अनुबंध का भाग है, जो कि संलग्न है।
- (38) उपरोक्त शर्तों के अलावा अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 के अनुसार होगी।
- (39) औषधियों की गुणवत्ता के संबंध में आपूर्ति करते समय बैचवार राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला/मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (40) निर्मित औषधि की आपूर्ति संबंधित रसायनशाल अजमेर, के स्टोर पर करनी होगी।
- (41) यदि बोलीदाता द्वारा गलत, कूटरचित अथवा तथ्य छिपाकर बोली हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हो तो, बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी व फर्म को काली सूची में डाला जा सकेगा तथा फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।
- (42) बोली की शर्तों में किसी भी प्रकार का विरोधाभाष/विवाद होने पर मिशन निदेशक का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
- (43) **अपील :-** राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अध्याय-III एवं नियम-2013 के अध्याय VII के प्रावधान के अनुसार राजस्थान स्टेट आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर हेतु अपील अधिकारी निम्नानुसार है:-

क्रं सं	प्रथम अपील अधिकारी	द्वितीय अपील अधिकारी
1.	प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

- (1) बिन्दु (9) के अध्याधीन रहते हुए यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कारवाई या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या यथास्थिति लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा :-
परन्तु बोली लगाने वाले की सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी, जिसने उपापन कार्यवाही में भाग लिया है।
परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है, वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी, जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।
- (2) बिन्दु (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी **पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया गया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा, जो बिन्दु (5) के अधीन पारित आदेश के अध्याधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्य होगा।**
- (3) अधिकारी, जिसके समक्ष बिन्दु (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

- (4) यदि बिन्दु (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी बिन्दु (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था बिन्दु (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, बिन्दु (2) के अधीन पारित आदेश की प्रति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर बोली दस्तावेज में वर्णित द्वितीय अपील अधिकारी को अपील दाखिल कर सकेगा।
- (5) बिन्दु (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त बिन्दु के अधीन द्वितीय अपील अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदानुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
- (6) द्वितीय अपील अधिकारी जिसके समक्ष अपील बिन्दु (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, यथा सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।
परन्तु यदि द्वितीय अपील अधिकारी जिसके समक्ष बिन्दु (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अधिक के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।
- (7) अपील अधिकारी जिसके समक्ष बिन्दु (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या यथास्थिति बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जायेगा।
- (8) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के परिवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन और संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस पैरा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जायेगी।
- (9) **कतिपय मामलों में अपील नहीं होगी :-** उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलों में से संबंधित किसी विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी, अर्थात् :-
(क) उपापन की आवश्यकता का अवधारण।
(ख) बोली प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध।
(ग) यह विनिश्चय कि बातचीत की जाये या नहीं।
(घ) उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण।
(ङ) गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना।
- (10) **अपील का प्रारूप -**
(क) बिन्दु (1) या (4) के अधीन यदि कोई अपील संलग्न प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी है।
(ख) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
(ग) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकरण डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।
- (11) **अपील फाइल करने के लिए फीस -**
1. प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
2. फीस का संदाय किसी भी अधिसूचित बैंक के मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

(12) अपील के निपटारे की प्रक्रिया –

1. प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
2. सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी :-
 - (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा, और
 - (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
3. पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात् संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
4. उप बिन्दु (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

- (44). निर्मित औषधियों की आपूर्ति बोलीदाता द्वारा की जावेगी किसी एजेन्सी के माध्यम से आपूर्ति स्वीकार नहीं होगी।
- (45). औषधियों की अनुमानित मात्रा व अन्य विवरण अनुलग्नक 1 में वर्णित है व मात्रा अनुमानित है इसमें कमी/बेशी का सम्पूर्ण अधिकार मिशन निदेशक का होगा। वित्तीय बिड में दी गई दर क्रयादेश की मात्रा व आपूर्ति स्थान के अनुसार परिवर्तित नहीं होगी।
- (46). बोलीदाता द्वारा दी गई व स्वीकार की गई वित्तीय बोली की दरें दर संविदा अवधि 31.05.2017 तक विधि मान्य होगी तथा इसमें किसी भी कारण से कोई दर वृद्धि देय नहीं होगी।
- (47). सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी।
- (48). वित्तीय बोलियों में अंक गणितीय त्रुटियों का सुधार RTPP Rule 2013 के नियम 64 के अनुसार होगा।

(49). **भुगतान प्रावधान**

1. बोलीदाता को अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
2. सप्लायर की गई औषधियों से सैम्पल की अनुमोदित प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही भुगतान किया जावेगा।
3. सप्लायर की गई औषधियों के लिए गये सैम्पल यदि स्टैण्डर्ड प्रावधान के अनुरूप नहीं पाए जाने व सैम्पल फ़ैल होने की स्थिति में वर्तमान कानूनी प्रावधान के तहत कार्यवाही हेतु क्रेता अधिकारी सक्षम होंगे।
4. सप्लायर को अस्वीकृत माल के नये स्टॉक से बदलना होगा।
5. जो निर्मित औषधियां स्टैण्डर्ड क्वालिटी की नहीं पाई जावेगी, उनका भुगतान बोलीदाता को नहीं किया जावेगा, चाहे उनका उपयोग कर लिया गया हो अथवा नहीं। क्रेता अधिकारी को बोलीदाता के किसी भी बकाया अन्य भुगतान से इस अस्वीकृत माल की राशि वसूल करने का अधिकार होगा, ऐसी स्थिति में बोलीदाता के विरुद्ध नियमानुसार ब्लैक लिस्टिंग/डीबार करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

(50). **औषधियों की आपूर्ति हेतु विशेष शर्तें:-**
बोली से संबंधित पात्रता की शर्तें:-

निम्नांकित बिन्दुओं की शर्तें पूरी होने पर ही संबंधित फर्म बोली भरने के लिए पात्र होगी। प्रत्येक बिन्दु के लिए प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/वांछित दस्तावेज साक्ष्य के बतौर तकनीकी बोली में स्केन कर अपलोड करने होंगे। इनके अभाव में कमेटी द्वारा संबंधित फर्म की तकनीकी बोली पर निर्णय किया जाना संभव नहीं होगा:-

1. बोली केवल उन्हीं वैध विनिर्माण अनुज्ञापिधारक उत्तम विनिर्माण व्यवहार (जी.एम.पी.)अनुपालना वाली गैर सरकारी इकाईयों द्वारा भरी जा सकेगी, जिन इकाईयों के पास स्वयं का ड्रग्स विनिर्माण का लाइसेंस हो।
 2. बोलीदाता के स्वयं के नाम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनीकृत लाइसेन्स एवं जी.एम.पी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। (लोन लाइसेन्स स्वीकार्य नहीं होगा)
 3. विगत तीन वर्षों (2012-13, 2013-14, 2014-15) में होम्योपैथिक औषधियों का औसतन टर्न ओवर रूपये 1.00 करोड़ न्यूनतम हो, अर्थात् गत तीन वर्षों का होम्योपैथिक औषधियों का सकल टर्न ओवर रूपये 3.00 करोड़ हो। (फर्म का कुल टर्न-ओवर मान्य नहीं होगा।)
 4. इकाईयां जो विगत 3 वर्षों (2012-13, 2013-14, 2014-15) से होम्योपैथिक औषधियों का निर्माण व विक्रय कर रहे हो।
 5. इकाईयां जो किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाली गई हो।
- (51). प्रत्येक औषधालय/चिकित्सालय हेतु औषधियों का एक-एक किट आपूर्ति आदेशानुसार तैयार कर पैकिंग करते हुये सप्लाई की जानी होगी।
 - (52). औषधियां अनुलग्नक 1 में दर्शाई गई निर्मित औषधी की मात्रा में से कय आदेश के अनुसार आपूर्ति संबंधित रसायनशाला अजमेर, में एफ.ओर.आर सप्लाई करनी होगी।
 - (53). औषधियों की सप्लाई स्वीकार होने तक किसी भी प्रकार की क्षति की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी। पैकिंग करते समय औषधि की प्रकृति को देखते हुए पैकिंग इस प्रकार करनी होगी कि, गन्तव्य स्थान पर औषधि पहुँचने तक व अकिंत एक्सपायरी दिनांक तक सुरक्षित रहे तथा उनकी गुणवत्ता एवं प्रकृति प्रभावित न हो। प्रत्येक औषधि के पैकिंग लेबल पर **'राजस्थान सरकार की सप्लाई, बिक्री के लिये नहीं'** अंकित करना होगा।
 - (54). पैकिंग में औषधियाँ कम पाये जाने पर, कम पाई गई औषधियों का भुगतान काट कर बिल का भुगतान किया जावेगा। उक्त भुगतान को आपको स्वीकार करना होगा। मिशन का निर्णय अंतिम होगा।
 - (55). माल का भुगतान, इस हेतु गठित कमेटी द्वारा माल स्वीकार किये जाने पश्चात् किया जावेगा। प्रक्रिया के अन्तर्गत भुगतान में विलम्ब होने पर किसी प्रकार का क्लेम मान्य नहीं होगा।
 - (56). औषधि बनाते समय उपयुक्त विधि, मानदण्ड व गुणवत्ता को ध्यान रखना आवश्यक होगा। औषधि नियन्त्रण अधिनियम के अन्य प्रावधानों की पालना करना आवश्यक है।
 - (57). बिल के साथ प्रत्येक बैच की लेबोरेट्री टेस्ट रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित करनी होगी।
 - (58). गोली या कैप्सूल प्लास्टिक/ग्लास की पैकिंग पर प्रत्येक मद के सामने उल्लेखित इकाई के अनुसार औषधियों का नाम, बैच संख्या, विनिर्माण की तारीख तथा एक्सपायरी की तिथि एवं **'राजस्थान सरकार की सप्लाई, बिक्री के लिये नहीं'** अंकित करना अनिवार्य है।
 - (59). **औषधियों की निर्माण/प्रयोग की अवधि**
 1. आपूर्ति की जाने वाली औषधी के प्रत्येक बैच के प्रत्येक बोतल/पैकिट/टिन आदि पर विनिर्माण की तारीख, बैच सं० और मुख्य संघटक एवं एक्सपायरी तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होना आवश्यक है। बाह्य लिफाफे, कार्टून एवं ट्यूब पर भी बैच सं. और निर्माण की तारीख एवं एक्सपायरी तिथि अंकित होनी आवश्यक हैं।
 2. औषधियों की सेल्फ लाईफ एक्सपायरी तिथि ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक(संशोधित) नियम 2005 के नियम 161 बी में निहित प्रावधानों के अनुसार होगी एवं आपूर्ति की गई औषधी की एक्सपायरी तिथि मिशन को आपूर्ति किए जाने के समय तीन चौथाई (3/4) की अवधि शेष रहनी चाहिए।
 3. औषधियों की पैकिंग एवं लेबलिंग ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एवं नियम 1945 तथा समय-समय पर इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।
 4. उत्पाद के लेबल और बाह्य पैकिंग (कार्टन/रैपर) जब कभी उत्पाद बाह्य पैकिंग सहित आपूर्ति किया जाता है, तो उस पर भी **'राजस्थान सरकार की सप्लाई, बिक्री के लिये नहीं'** मुद्रित/चिपकाया गया होना चाहिए :-

- (1) फर्म का नाम
 - (2) औषधी का नाम
 - (3) औषधी के मुख्य संघटक
 - (4) औषधी के घटको की मात्रा
 - (5) बैच सं०
 - (6) विनिर्माण की तिथि
 - (7) एक्सपायरी तिथि
5. उत्पाद की असलियत और अर्न्तवस्तु की अन्य शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी बोटल/टिन/प्लास्टिक कन्टेनर आदि पिलफरप्रूफ सील (P.P. Seal) किया जाना अपेक्षित है। पैकिंग को सील करने के लिए चिकने कागज का प्रयोग न किया जाये।
 6. संबंधित भण्डार को आपूर्ति की जाने वाली औषधियों के सभी लेबल हिन्दी एवं अंग्रेजी में लिखे होने चाहिए। संबंधित भण्डार द्वारा कोई टी०आर०/आर०आर० और डाक पार्सल स्वीकार नहीं किए जावेगें। औषधियों के किट संबंधित रसायनशाला अजमेर, में स्टोर/निर्धारित भण्डार में उपलब्ध कराया जाना होगा।
 7. औषधियों का निर्माण भारत सरकार द्वारा निर्धारित अत्यावश्यक औषधियों की सूची में उल्लेखित सन्दर्भों के अनुसार ही किया जा कर आपूर्ति की जावेगी।

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों, बोली सूचना व उसकी नियम, शर्तों का अध्ययन कर लिया है व अच्छी तरह समझ लिया है। सभी शर्तों से सहमति बतौर नीचे हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर बोलीदाता
बोलीदाता फर्म/इकाई का
नाम मय सील

मिशन निदेशक
राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी,
जयपुर

(औषधी की पोटेन्सी – मदर टिन्चर की पोटेन्सी Q होगी तथा बायो केमिकल मेडिसिन की पोटेन्सी 6Xहोगी)

S. N o.	Name of Homoeopathic Medician	Packing Unit	Dispensary wise 2014-15			Hospital wise 2014-15			Dispensary wise 2015-16			Hospital wise 2015-16			Total Quantity
			Required Quantity	No of Dispensary	Total Quantity	Required Quantity	No of Hospital	Total Quantity	Required Quantity	No of Dispensary	Total Quantity	Required Quantity	No of Hospital	Total Quantity	
1	ANGUSTURA BERA -Q	100 ml	5	305	1525	10	6	60	0	305	0	0	6	0	1585
2	BELLIS PER -Q	100 ml	5	305	1525	10	6	60	0	305	0	0	6	0	1585
3	BAPTISIA T. -Q	100 ml	5	305	1525	10	6	60	0	305	0	0	6	0	1585
4	ARNICA MONTANA -Q	100 ml	10	305	3050	12	6	72	0	305	0	0	6	0	3122
5	BERBERIS VULGARIS -Q	100 ml	10	305	3050	18	6	108	0	305	0	0	6	0	3158
6	BLATTA ORIENT. -Q	100 ml	10	305	3050	18	6	108	0	305	0	0	6	0	3158
7	CANTHARIS -Q	100 ml	10	305	3050	18	6	108	0	305	0	0	6	0	3158
8	CARDUUS MAR -Q	100 ml	10	305	3050	18	6	108	0	305	0	0	6	0	3158
9	CALENDULLA -Q	100 ml	5	305	1525	18	6	108	0	305	0	0	6	0	1633
10	CHELIDONIUM MAJ. -Q	100 ml	10	305	3050	15	6	90	0	305	0	0	6	0	3140
11	CASSIA SOPHERA -Q	100 ml	5	305	1525	10	6	60	0	305	0	0	6	0	1585
12	CINERARIA EYE DROP	08 ml	0	305	0	0	6	0	70	305	21350	100	6	600	21350
13	EUPHRASIA EYE DROP	08 ml	0	305	0	0	6	0	70	305	21350	100	6	600	21350
14	MULLEN EAR DROP	08 ml	0	305	0	0	6	0	63	305	19215	70	6	420	19215
15	AESCLUS HIP.OINT.	15gm	0	305	0	0	6	0	50	305	15250	50	6	300	15250
16	ARNICA MONT. OINT.	15gm	0	305	0	0	6	0	50	305	15250	50	6	300	15250
17	BERBERIS AQUA.OINT.	15gm	0	305	0	0	6	0	50	305	15250	50	6	300	15250
18	CALENDULLA OFF.OINT.	15gm	0	305	0	0	6	0	50	305	15250	50	6	300	15250
19	CANTHARIS OINT.	15gm	0	305	0	0	6	0	50	305	15250	50	6	300	15250
20	HAMAMELIS VIR.OINT.	15gm	0	305	0	0	6	0	50	305	15250	50	6	300	15250
21	LEDUM PAL OINT.	15gm	0	305	0	0	6	0	50	305	15250	50	6	300	15250
22	PETROLEUM OINT	15gm	0	305	0	0	6	0	50	305	15250	50	6	300	15250
23	RHUS TOX.OINT.	15gm	0	305	0	0	6	0	50	305	15250	50	6	300	15250

नोट:- उपरोक्त मात्रा में कमी/वृद्धि सम्भव है। क्रम संख्या 1 से 23 तक की औषधियों के लिए आदेशित मात्रानुसार होम्योपैथी औषधालयों / चिकित्सालयों के लिए पृथक-पृथक किट तैयार किए जाने हैं। इन किटों की पैकिंग पर पृथक-पृथक औषधालयों/चिकित्सालयों के लिए सफ़ाई अंकित करना होगा।

उपरोक्त आपूर्ति हेतु आदेशित/सभी औषधियों के प्रति औषधालय/चिकित्सालयों अनुसार किट बनाये जाने है। यह किट एक जिले में जितने औषधालय/चिकित्सालय है, उन सभी औषधालयों/चिकित्सालयों के लिए अलग-अलग किट तैयार किया जाकर एक जिले वाईज औषधालयों/चिकित्सालयों अनुसार पैकिंग/किट संबंधित रसायनशाला अजमेर में पहुँचाए जाने है। रसायनशाला अजमेर में जिले अनुसार आपूर्ति किए जाने वाले किटों का विवरण इस प्रकार है :-

कं सं	रसायनशाला	संबंधित जिलो के नाम	आपूर्ति किए जाने वाले किटों की संख्या		
			औषधालयों हेतु किट	चिकित्सालयों हेतु किट	कुल किटों की संख्या
1.	राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, अजमेर	अजमेर	09	02	11
		जयपुर -अ	15	00	15
		जयपुर -ब	17	00	17
		टोंक	07	00	07
		झुझुनु	08	01	09
		नागौर	12	00	12
		सीकर	12	00	12
		जोधपुर	08	01	09
		चुरु	10	00	10
		जालोर	08	00	08
		जैसलमेर	02	00	02
		पाली	10	01	11
		बाडमेर	08	00	08
		बीकानेर	13	00	13
		श्रीगंगानगर	08	00	08
		सिरोही	08	00	08
		हनुमानगढ	06	00	06
		भरतपुर	15	00	15
		अलवर	13	00	13
		करोली	08	00	08
		कोटा	11	01	12
		झालावाड	12	00	12
		दौसा	04	00	04
		धौलपुर	07	00	07
		बांरा	08	00	08
		बूंदी	07	00	07
		सवाईमाधोपुर	03	00	03
		उदयपुर	12	00	12
		चित्तौडगढ	05	00	05
		डूंगरपुर	07	00	07
		प्रतापगढ	03	00	03
		बांसवाडा	12	00	12
		भीलवाडा	10	00	10
राजसमन्द	07	00	07		
कुल -		305	06	311	

नोट : उपरोक्त किट की संख्या एक बार दिए गए आपूर्ति आदेश के अनुसार दुबारा आदेश दिए जाने पर औषधी की आपूर्ति हेतु पुनः उपरोक्तानुसार किट तैयार करने होंगे।

रियायती फार्म शुल्क, बोली प्रतिभूति, कार्य सम्पादन प्रतिभूति बाबत् राजस्थान के सुक्ष्म,
लघु एवं मध्यम उद्योग होने संबंधी शपथ-पत्र
(100/-रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

IS/oAged Yrs. residing at
..... Proprietor/Partner/ Director of M/s do hereby
solemnly affirm and declare that :

(a) My/Our above noted enterprise M/s has been issued acknowledgement of
Entrepreneurial Memorandum Part - II by the District Industries Center
The acknowledgement No. is dated and has been issued for manufacture
of following items:

Name of Item	Production Capacity (Yearly)
(i)	
(ii)	
(iii)	
(iv)	
(v)	

(b) My/Our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part - II has not
been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is
regularly manufacturing the above items.

(c) My/Our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to
manufacture the above noted items.

Place

**Signature of
Proprietor/Director/Authorised
Signatory
with Rubber and date**

Form A
(Apply in Duplicate)
Application by MSME for Price Preference or Purchase Preference
or both in Procurement of Goods

To,
The General Manager
DIC, District

1. Name of Applicant with Post:
2. Permanent Address:
3. Contact Details:
 - a. Telephone No.:
 - b. Mobile No.:
 - c. Fax No.:
 - d. Email Address:
4. Name of micro & small enterprise:
5. Office Address:
6. Address of Work Place:
7. No.& Date of Entrepreneurs Memorandum-II/Udyog Aadhaar Memorandum(enclose photo copy)
8. Products for which Entrepreneurs Memorandum-II/Udyog Aadhaar Memorandum availed:
9. Products for which are at present being produced by the enterprise:
10. Products for which price preference or purchase preference or both has been applied for:

भाग 4(ग) राजस्थान राज-पत्र, नवम्बर 19, 2015 213 (13)

11. Production capacity as per Capacity Assessment Certificate
(enclose photocopy of Capacity Assessment Certificate)

Serial No	Product	Production Capacity	
		Quantity	Value

- 12 List of Plant & Machinery installed

Serial No.	Name of Plant & Machinery	Quantity	Value

- 13 List of Testing Equipments installed

Serial No.	Name of Testing & Equipments	Quantity	Value

14 . Benefits availed as per price preference certificate in last financial year and current financial year

a. Benefits depositing Bid Security and Performance Security:

Last Financial Year			Current Financial Year	
Department	Bid Security	Performance Security	Bid Security	Performance Security

213 (14) राजस्थान राज-पत्र, नवम्बर 19, 2015 भाग 4(ग)

b. Details of Supply orders received:

Last Financial Year				Current Financial Year		
Department	No. & Date of purchase order	Amount for which purchase order received	Amount of goods supplied	No. & Date of purchase order	Amount for which purchase order received	Amount of goods supplied

I declare that the above all facts given in the application are correct and my enterprise is producing the items mentioned in column No. 10.

Date

Signature (Name of the applicant along with seal of post)

Office of the District Industries Centre _____

CERTIFICATE
(See clause 10)

File No. _____

Date _____

It is certified that M/s _____ was inspected by _____ on dated _____ and the facts mentioned by the enterprise are correct as per the record shown by the applicant. The enterprise is eligible for Price Preference or Purchase Preference or both under this notification.

The certificate is valid for one year from the date of its issue.

Office Seal

Signature
(Full Name of the Officer)
General Manager
District Industries Centre
Rubber Seal/Stamp

बोलीदाता द्वारा स्व-घोषणा
(देखे नियम 48-VII)

मैं/हम, घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, मैंने/हमने जिन निर्मित औषधियों के लिए बोली दी है, उनका/उनके, मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

औसत वार्षिक टर्न-ओवर का स्टेटमेन्ट

यह प्रमाणित किया जाता है कि औषध निर्माता मैसर्स
..... का विगत तीन वर्षों का होम्योपैथिक
औषधियों का वार्षिक टर्न ओवर निम्नानुसार है तथा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह स्टेटमेन्ट सत्य
एवं सही है।

क्रम संख्या	वर्ष	टर्न ओवर (रूपये लाखों में)
1.	2012-13	
2.	2013-14	
3.	2014-15	
4.	कुल	
5.	औसत टर्न ओवर	

नोट :- बोलीदाता द्वारा केवल होम्योपैथिक औषधियों का टर्न ओवर दर्शाया जाना है।
फर्म/संस्था का कुल टर्न ओवर मान्य नहीं होगा।

दिनांक

हस्ताक्षर
चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट
(नाम)

सील

ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का घोषणा-पत्र

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, मेरी/हमारी संस्था आज दिनांक को केन्द्रीय सरकार/किसी भी राज्य सरकार से ब्लैक लिस्टेड/प्रतिबंधित नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो मिशन द्वारा मेरे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

Annexure A : Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

- (a) not offer any bribe, reward of gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
- (b) not misrepresent or omit the misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and process of the procurement process.
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process.
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same , directly or indirectly, to any party or its property to influence the procurement process.
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
- (g) disclose conflict of interest, if any ; and
- (h) disclose any pervious transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited:
 - a. have controlling partners/shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them;
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. the Bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as Bidder, in more than one Bid; or
 - f. the Bidder or any of its affiliates participated as consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.
 - h.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In re to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No. Dated I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resource and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we/ have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our Directors and Officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict to interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of Bidder

Name :

Designation :

Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is _____

The designation and address of the Second Appellate Authority is _____

(1) Filing and appeal

if any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

- (a) determination of need of procurement;**
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;**
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;**
- (d) cancellation of a procurement process;**
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.**

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following bases:

- a. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price shall govern and the unit price shall be corrected;
- b. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and
- c. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- iii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and condition of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital natures, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

आवश्यक सभी विधि सम्मत प्रावधानों का पालना का घोषणा-पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, मैंने/हमने जिन औषधियों के लिए बोली दी है, उनके औषध निर्माण हेतु फार्मसी/औषध परीक्षण प्रयोगशाला में वर्तमान में आवश्यक सभी विधि सम्मत प्रावधानों का पालन किया जाता है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए, तो मिशन द्वारा मेरे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

बोलीदाता द्वारा सहमति पत्र

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर की विज्ञप्ति संख्या.....
दिनांक.....के सन्दर्भ में राजकीय होम्योपैथिक औषधालयों/चिकित्सालयों हेतु निर्मित अत्यावश्यक औषधियों की आपूर्ति हेतु मैने/हमने सभी नियम व शर्तें पढ ली हैं, जिसके आधार पर आपूर्ति करने हेतु सहमति प्रदान करता हूँ/करते हैं। साथ ही :-

1. बोली फार्म का शुल्क राशि रु..... (.....)
बैंकर्स चैक/डी.डी. संख्या.....दिनांक.....बैंक.....
2. बोली प्रतिभूति राशि रु..... (.....)
बैंकर्स चैक/डी.डी. संख्या.....दिनांक.....बैंक.....
3. प्रोसेसिंग फीस राशि रु..... (.....)
बैंकर्स चैक/डी.डी. संख्या.....दिनांक.....बैंक.....
संलग्न है।

यदि निविदा की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो मिशन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

आपूर्ति के संबंध में स्व-घोषणा प्रमाण पत्र

मैं/हम, एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर द्वारा औषधियों की आपूर्ति संबंधी आपूर्ति आदेश दिये जाने की दशा में, मेरी/हमारी फर्म द्वारा आदेश में इंगित मात्रा मिशन निदेशक, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर को निर्देशित स्थान पर एफ.ओ.आर आपूर्ति सुनिश्चित रूप से की जायेगी। मैंने/हमने निम्नांकित निर्मित औषधियों के लिए वित्तीय दरें दी है जिनकी आपूर्ति के क्रम में निम्नानुसार प्रतिबद्धता करते है।

क्र. सं.	निर्मित औषधी का नाम	वार्षिक उत्पादन क्षमता	मासिक आपूर्ति प्रतिबद्धता	त्रैमासिक आपूर्ति प्रतिबद्धता	दर संविदा समय में आपूर्ति की प्रतिबद्धता

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

घोषणा-पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि, औषधियों का निर्माण भारत सरकार द्वारा निर्धारित अत्यावश्यक औषधियों की सूची में उल्लेखित सन्दर्भों के अनुसार ही किया जाता है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो मिशन द्वारा मेरे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

घोषणा-पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, मेरी/हमारी फर्म द्वारा आपूर्ति की गई औषधि यदि मानकों के अनुरूप गुणवत्ता न पाये जाने पर, उन औषधियों को मैं/हम स्वयं के खर्चे पर वापस प्राप्त करूँगा/करेंगे व मानक के अनुरूप व गुणवत्ता पूर्ण औषधी की आपूर्ति करूँगा/करेंगे।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो मिशन द्वारा मेरे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति संबंधी स्व-घोषणा प्रमाण पत्र

मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर द्वारा औषधियों की आपूर्ति संबंधी आपूर्ति आदेश में इंगित अवधि में मेरे/हमारे द्वारा औषधियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। निश्चित अवधि में आपूर्ति न हो पाने की दशा में बोली की शर्तों के अनुसार प्रतिदिन की दर से देय परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए मैं/हमारी फर्म पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

घोषणा-पत्र

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, मेरे/हमारे द्वारा औषधियों का जो मूल्य भरा गया है, इससे कम दरों पर उन औषधियों की आपूर्ति अनुबंध अवधि के दौरान नहीं की जावेगी। यदि ऐसा किया जाता है तो मिशन के तहत की जाने वाली सप्लाई में इसका लाभ दिया जाएगा।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो मिशन द्वारा मेरे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत

घोषणा प्रमाण पत्र

मै/हम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत घोषणा करता हूँ /करते है कि :-

(क) आवश्यक वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय स्रोत तथा उपापन संस्था द्वारा जारी किए गए बोली दस्तावेजों, पूर्व-अर्हता दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों द्वारा अपेक्षित सक्षमता धारित करते है।

(ख) ऐसे करों को संदत्त करने की जो बोली दस्तावेजों, पूर्व अर्हता-दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय हैं, अपनी बाध्यता की पूर्ति करेगें।

(ग) दिवालिया, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नही होगा या परिसमापन नहीं कर रहा होगा, न किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखेगा, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलंबित रखेगा और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यक्षीन होगा।

(घ) अपने वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारंभ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन संबंधी किसी दांडिक अपराध के संबंध में न तो स्वयं, और न उनके निदेशक और अधिकारी दोष सिद्ध हुए हैं, या विर्वजन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए है।

(ङ) ऐसे हित, जो पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किये जाये, के प्रति कोई विरोध नहीं रखेगें, जो उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप ये प्रभावित करें।

(च) कोई भी अन्य अर्हताएँ, जो विहित की जायें, पूर्ण करेगें।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

शपथ पत्र 500 /- रूपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर

नोटरी द्वारा सत्यापित

मैं/हम शपथपूर्वक घोषणा करते हैं कि, मैने/हमने होम्योपैथिक निर्मित औषधियों के क्रय हेतु तकनीकी बोली के बिन्दु सं का 7 (30) के अनुसार क्रम संख्या 1 से 29 तक में जो घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र/अन्य सूचना संलग्न किए गये हैं, वे सत्य एवं पूर्णतया सही हैं। इनमें किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। और न ही कोई कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो बिना किसी न्यायिक कार्यवाही एवं अन्य कोई कार्यवाही किये बिना मेरी/हमारी बोली जो स्वीकृत की गई रद्द कर दी जावे एवं हमारे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए मिशन स्वतंत्र है।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

करार पत्र (देखिए नियम 68)

1. यह करार पत्र आज दिनांक माह सन्..... को एक पक्ष के (जिसे इसमें आगे 'अनुमोदित सप्लायर' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर (जिसे इसमें आगे 'मिशन' कहा गया है, तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशियों को शामिल हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच समपन्न किया गया।
2. चूंकि अनुमोदित सप्लायर, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर को उसके मुख्यालय पर तथा सम्पूर्ण राजस्थान में जिला आयुर्वेद अधिकारियों को भी, इसमें संलग्न की अनुसूची में दी गयी सभी वस्तुओं को बोली एवं बोली की शर्तों में दिए गए तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालम में दी गयी दरों पर सप्लाई करने के लिए मिशन से सहमत हो गया है।
3. एवं चूंकि अनुमोदित सप्लायर ने रूपये की राशि निम्न प्रकार से जमा करायी है:—
 - (i) नकद/बैंक ड्राफ्ट/चालान संख्या/बैंकर्स चैक संख्या दिनांक द्वारा,
 - (ii) विभागीय प्राधिकारियों के पास विधिवत् रेहन रखकर डाकघर बचत बैंक पास बुक के रूप में,
 - (iii) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों/डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स/किसान विकास पत्रों या किन्हीं अन्य स्क्रिप्ट/इन्स्ट्रुमेंट्स के रूप में, यदि इन्हें संबंधित नियमों के अधीन (प्रमाण पत्र उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किए जाएंगे) उक्त करार के निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा जा सकता हो तथा उसे विभागीय प्राधिकारियों को औपचारिक रूप में हस्तांतरित कर दिया गया है।
4. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है:—
 - (i) इसमें संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों पर के मार्फत मिशन द्वारा किए जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित सप्लायर में तथा बोली एवं बोली की शर्तों में दिए गए तरीके से उक्त वस्तुओं की विधिवत् सप्लाई करेगा।
 - (ii) निविदा सूचना संख्या दिनांक से संलग्न खुली बोली हेतु बोली एवं बोली की शर्तों में तथा इस करार पत्र से जुड़ी शर्तों को इस करार पत्र के भाग के रूप में लिया हुआ समझा जाएगा तथा ये इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होंगी।
 - (iii) बोलीदाता से प्राप्त पत्र में संख्यायें तथा मिशन द्वारा जारी किए गए पत्र के भाग के रूप में होंगी।
5. (क) मिशन एतद् द्वारा स्वीकार करता है कि, यदि अनुमोदित सप्लायर उक्त वस्तुओं की उपर्युक्त तरीके से विधिवत् सप्लाई करेगा, उक्त शर्तों का पालन करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो मिशन के माध्यम से अनुमोदित सप्लायर को उक्त शर्तों में दिए गए समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक माल प्रेषण के लिए देय राशि का भुगतान करेगी या भुगतान करवाएगी।

(ख)भुगतान की विधि नीचे वर्णन किए गए अनुसार होगी :-

1. माल का भुगतान जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तथा इस हेतु गठित कमेटी द्वारा माल स्वीकार किये जाने पश्चात् किया जावेगा।
2. प्रक्रिया के अन्तर्गत भुगतान में विलम्ब होने पर किसी प्रकार का क्लेम मान्य नहीं होगा। बिल के साथ प्रत्येक बैच की लेबोरेट्री टेस्ट रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित करनी होगी।
- 6.माल की सुपुर्दगी सप्लाई देने हेतु आदेश की तारीख से नीचे अंकित अवधि के भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जाएगी।

कम संख्या

मदों की संख्या

सुपुर्दगी अवधि

1. आयुर्वेद औषधियों के किट

.....

60 दिन

7.(1)(i)यदि परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गई हो तो, सप्लाई न किए गए सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशतों के आधार पर वसूली की जाएगी :-

(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2.5%
(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए	5%
(ग)	आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए	7.5%
(घ)	विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए	10%

टिप्पणी :

- (i) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।
 - (ii) स्वीकार की गयी परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।
 - (iii) यदि सप्लायर किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने वो सप्लाई आदेश दिया था, किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा, न कि सप्लाई को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।
- (2)यदि माल की सप्लाई में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ जो निविदाता के नियंत्रण के परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति के साथ या उसके बिना कर दी जाएगी।
- 8.करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से संबंधित सभी प्रश्न मिशन द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे तथा मिशन का निर्णय अन्तिम होगा। इसकी साक्षी में इसमें पक्षकारों ने आज दिनांक माह सन् को अपने हस्ताक्षर किए।

अनुमोदित सप्लायर के हस्ताक्षर

**मिशन के लिए एवं उनकी ओर से
पदनाम**

दिनांक :

दिनांक:

साक्षी सं. 1

साक्षी सं. 1

साक्षी सं. 2

साक्षी सं. 2